भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2787
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **फसल उत्पादकता रणनीति**

2787. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए, विशेषकर धान जैसी प्रमुख फसलों के लिए, इस बात के साक्ष्य के मद्देनजर कि पैदावार राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है, कोई राज्य-विशिष्ट फसल उत्पादकता रणनीति तैयार की है;

(ख) क्या जिला-बार सूक्ष्म सिंचाई, उन्नत बीज अपनाने, विस्तार सेवाओं और खाद्य प्रसंस्करण संगठनों के एकीकरण जैसे प्राथमिकता वाले प्रयासों की पहचान करने सहित उपज अंतर का आकलन किया गया है और राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कृषि आय में सुधार लाने और उत्पादकता में अंतर को कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों और मूल्य श्रृंखला विकास की दिशा में विविधीकरण को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, पोषक अनाज और वाणिज्यिक फसलों (कपास, जूट और गन्ना) सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम उत्पादकता और उच्च उत्पादन क्षमता वाले जिलों की पहचान करने की छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला भी कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों में कृषि का संपूर्ण क्षेत्र जैसे; ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित कृषि संबंधी स्कीमों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) प्रत्येक फसल सीजन (जैसे रबी और खरीफ) से पहले समय-समय पर आयोजित होने वाली क्षेत्रीय बीज बैठकों के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य एजेंसियों के साथ बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करता है। विभाग समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि फसलों की नई जारी की गई उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी), तनाव सहिष्णु जैव-संरचित और अल्प एवं मध्यम अवधि वाली किस्मों को अपनी राज्य बीज योजना में शामिल करने का परामर्श देता है।

देश में कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और गुणन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) कार्यान्वित किया गया था। अब वर्ष 2023-24 में एसएमएसपी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तदनुसार, पूर्व एसएमएसपी के कार्यकलाप अब एनएफएसएनएम: बीज घटक के रूप में संचालित हैं। एनएफएसएनएम के तहत: आंध्र प्रदेश राज्य के बीज घटकों के लिए 8.585 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है और चालू वर्ष के दौरान अब तक 2.8078 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

सरकार आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में वर्ष 2015-16 से केंद्र प्रायोजित स्कीम, 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) कार्यान्वित कर रही है। पीडीएमसी स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई से जल की बचत होती है, साथ ही उर्वरकों का उपयोग, श्रम व्यय और अन्य इनपुट लागतों में कमी आती है और किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है। इस स्कीम के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 28 फरवरी 2026 तक, पीडीएमसी स्कीम के तहत देश में 108 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश का 11.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। आंध्र प्रदेश में पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई से कवर किए गए जिलेवार क्षेत्र का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) की एक उप-स्कीम, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत धान प्रतिस्थापन घटक को वर्ष 2013-14 से मूल हरित क्रांति वाले राज्यों हरियाणा और पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया गया है, ताकि धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप और जागरूकता सृजन एवं क्षमता निर्माण से संबंधित आकस्मिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

फसल विविधीकरण कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश सहित प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में विस्तारित किया गया था, जिसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों की खेती की ओर अग्रसर करना था। इस विस्तार के तहत, राज्य अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार उपयुक्त गतिविधियाँ और हस्तक्षेप कर सकते हैं।

इसके अलावा, 11 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) शुरू की गई है जो वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों की अवधि के लिए है, जिसमें कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण के तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर चयनित 100 जिलों को शामिल किया जाना है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम डीडीकेवाई के तहत चयनित जिले श्री सत्य साई, अनंतपुर, अल्लूरी सीताराम राजू और अन्नामय्या हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह मिशन आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओओएस) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयलपाम (एनएमईओ-ओपी) के तहत, आंध्र प्रदेश ने मिशन अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान अब तक 94,890 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है।

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य फलों, सब्जियों, कंद-मूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू और कोकोआ आदि सहित बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। एमआईडीएच किसानों को न केवल बागों और बागान फसलों, अंगूर के बागों, सब्जी और फूलों के बगीचों, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, ऑफ-सीजन सब्जियों और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन के लिए उच्च मूल्य वाली बागवानी की ओर फसल विविधीकरण के व्यापक विकल्प प्रदान करता है, बल्कि बड़ी संख्या में कृषि उद्योगों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एमआईडीएच के अंतर्गत शामिल हैं।

इसके अलावा, इसके अलावा, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) योजना वर्ष 2005 से पूरे देश में लागू है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में किसानों को नई तकनीकों के बारे में जागरूक करना है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कुल 716 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत हैं। 318 किसान उत्पादक संगठन को 20.84 करोड़ रुपये का समतुल्य अनुदान वितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, आज तक 384 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को उर्वरक लाइसेंस, 198 किसान उत्पादक संगठन को बीज लाइसेंस और 198 किसान उत्पादक संगठन को कीटनाशक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, आज तक 355 किसान उत्पादक संगठन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के तहत किए गए प्रयासों से कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में फसलवार उत्पादकता स्तर निम्न प्रकार हैं।

(किलोग्राम/हेक्टेयर)

फसल	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	3434	3485	3583
मक्का	4046	4007	4524
बाजरा	2027	2096	2320
रागी	1185	1261	1456
तुअर	323	413	475
मूंगफली	661	660	937
अरंडी	309	385	510
कपास	372	297	476

स्रोत: डीए एंड एफडब्ल्यू

अनुबंध।

कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
10. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयलपाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

अनुबंध II

आंध्र प्रदेश में पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (2015-16 से 28.02.2026 तक)

क्रमांक संख्या	ज़िला	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	अनंतपुर	214863
2	चित्तूर	147674
3	वाई.एस.आर. कडप्पा	167519
4	पूर्वी गोदावरी	34734
5	गुंटूर	28141
6	कृष्णा	27387
7	कुरनूल	102431
8	एसपीएसआर नेल्लोर	44706
9	प्रकाशम	106693
10	श्रीकाकुलम	19633
11	विशाखापटनम	16063
12	विजियानागरम	17242
13	पश्चिम गोदावरी	61987
14	पार्वतीपुरम मान्यम	3384
15	अनकापल्ली	4011
16	अल्लूरी सीताराम राजू	1678
17	काकीनाडा	4288
18	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	280
19	एलुरु	21367
20	एनटीआर	7581
21	बापतला	4333
22	पालनाडु	8248
23	तिरुपति	7246
24	अन्नमय्या	40111
25	श्री सत्य साईं	41004
26	नांदयाल	17204
	कुल	1149808

*****